

5/5/23 दिनांक 3/5/23 का अन्वय होने के कारण
पत्रावली आज पेश हुई। वकील की अनुपस्थिति में पत्रावली
का अपलोडिंग किया गया। न्यायालय द्वारा बार-बार
अपसर दिए जाने के उपरान्त न्यायालय के आदेश की
पालना नहीं की गई। अतः मूल वाद 09R2, 09R-5
में निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम है। बाद तक भी
वकील दफ्तर है। सुनाया गया।


सहायक जज
दरभंगा (अन्वय) राज.